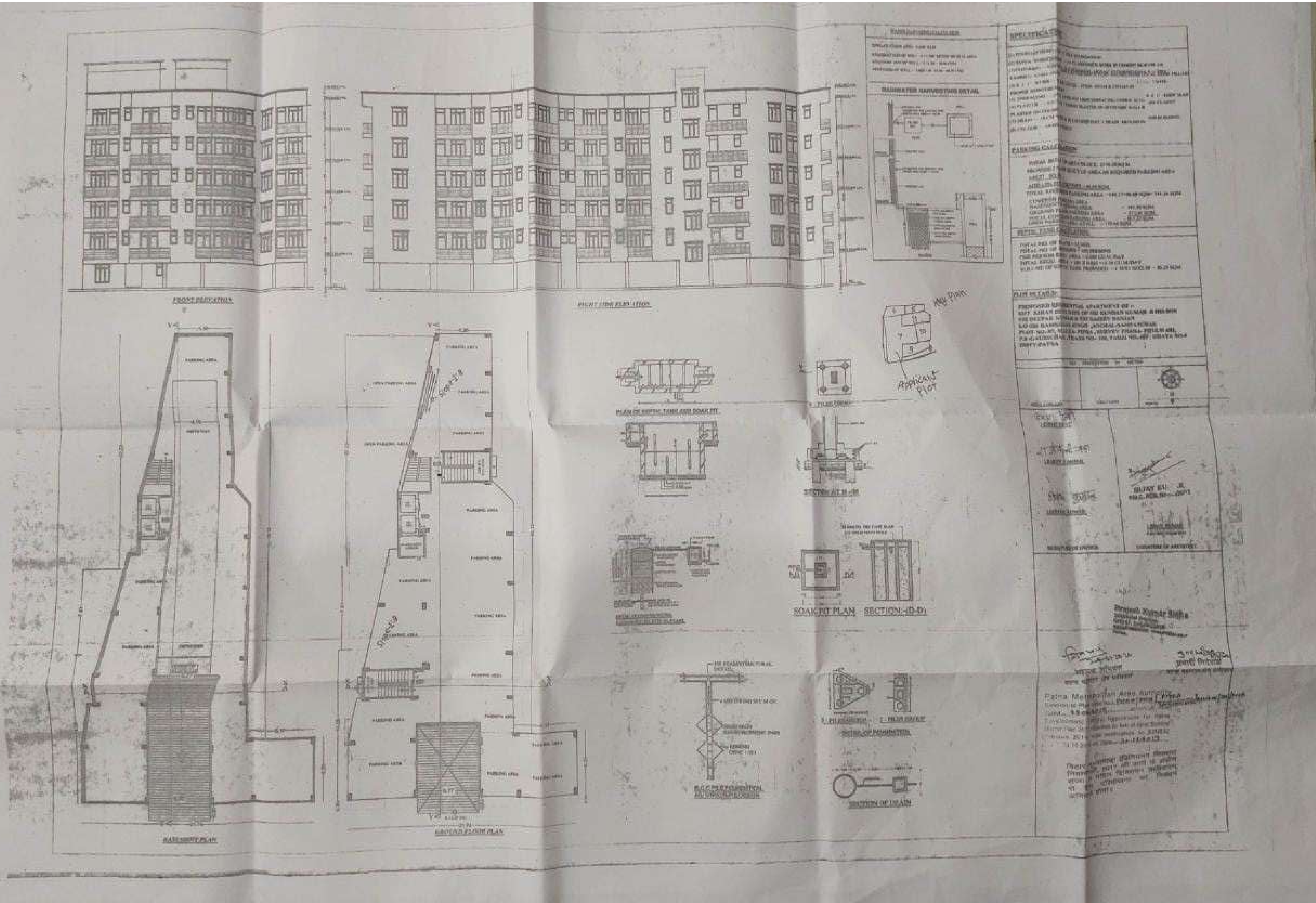
FRONT ELEVATION
RIGHT SIDE ELEVATION
BASEMENT PLAN
GROUND FLOOR PLAN
SOAK PIT PLAN
SECTION-(D-D)
SECTION OF DRAIN
Key Plan
Applicant Plot
SPECIFICATION
PARKING CALCULATION
PLOT DETAILS

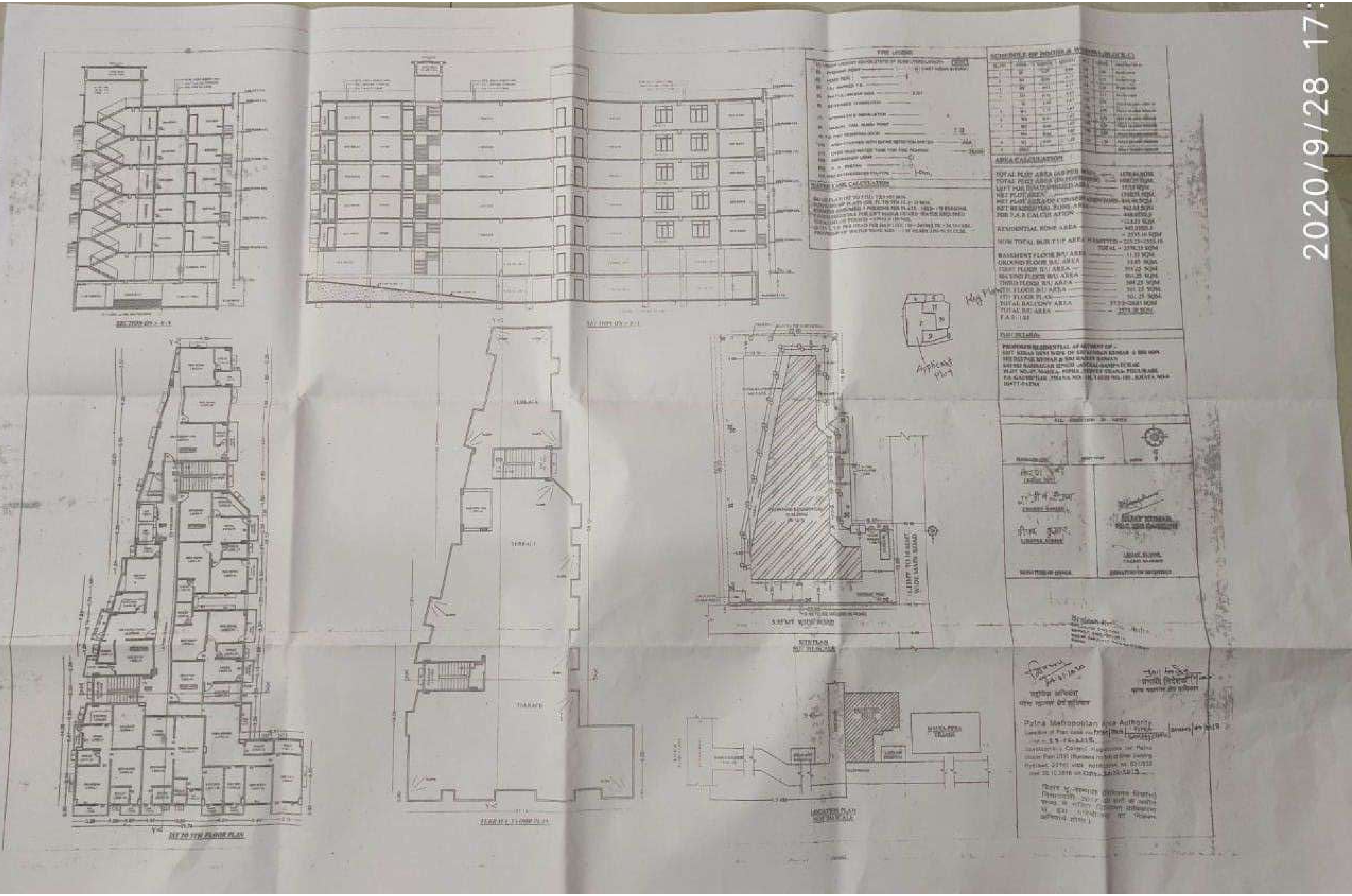

AREA CALCULATION
TOTAL BALCONY AREA
TOTAL B/U AREA
F.A.R.
LIMIT TO 18.00MT WIDE MAIN ROAD
TERRACE
Patna Metropolitan Area Authority
2020/9/28 17:

पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार

(बिहार सरकार का उपक्रम)
पाँचवां तल्ला, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड
पटना का मुख्यालय भवन, हॉस्पीटल रोड,
शास्त्री नगर, पटना - 800023

सं0सं0:–PMAA/PRN/$\frac{PIPRA}{SAMPATCHAK}$/ B+G+05/84/2018 – 33 पटना, दिनांक– 05.02.2020

प्रेषक,

प्रभारी निदेशक,
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार,
बिहार पटना।

सेवा में,

श्रीमती किरण देवी एवं अन्य,
पति–श्री कुन्दन कुमार,
मोहल्ला–पिपरा,
थाना–गौरीचक
जिला–पटना।

विषयः– **प्लान केस संख्या– PMAA/PRN/$\frac{PIPRA}{SAMPATCHAK}$/ B+G+05/84/2018 की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

आपके आवेदन सं0–PMAA//PRN/$\frac{PIPRA}{SAMPATCHAK}$/ B+G+05/84/2018 दिनांक–28.05.2018 के संदर्भ में श्रीमती किरण देवी एवं अन्य, पति–श्री कुन्दन कुमार, थाना–गौरीचक, बिहार के भवन निर्माण के लिए पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार/आयोजना स्कीम/पटना मास्टर प्लान 2031 के आलोक में मौजा–पिपरा सर्वे थाना–फुलवारी, थाना सं०–105, सर्वे प्लॉट सं०–07, खाता सं०–09, Tauzi No-182 में आवासीय भवन, $(B + G + 05)$ दिनांक–20.12.2019 को स्वीकृतार्थ नक्शा के बाबत निम्नलिखित शर्तो/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

1. भूमि/भवन का उपयोग अन्य रूप से आवासीय भवन प्रयोजन, के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
2. विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
3. अनुमोदन योजना में दर्शाया गया $963.32m^2$ वर्गमीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा। बेसमेंट में Ventilation हेतु समुचित व्यवस्था बिहार भवन उपविधि के आलोक में प्रावधान करना होगा।
4. प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

5. भूखण्ड के उतर में 5.35 मी० चौड़ी सड़क अवस्थि है जिसे 6.1 मी० चौड़ी करने के लिए आवेदक को 0.38 मी० चौड़ी भूपट्टी छोड़ना होगा तथा पश्चिम में 10.68 मी० से 11.13 मी० चौड़ी सड़क अवस्थित है।

6. अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षो की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

7. इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड़ जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो के अधिकार हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

8. योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू–अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।

9. भू–स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेदारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर–फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

10. बिहार भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली 2017 की शर्तो के अधीन राज्य में गठित भू–सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन अनिवार्य होगा।

11. श्रम सेस के संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग/श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों का अनुपालन निर्माणकर्ता द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

12. निर्माणकर्ता को प्राधिकार के विनिर्देशों के अनुसार मल जल निकास जल निकास सड़क आदि जैसे संयोजन स्थल पर और स्थल के बाहर आधारभूत संरचना का बिहार भवन उपविधि 8(5) के आलोक में विकास करना होगा।

13. समय–समय पर सरकार द्वारा निर्गत आदेशों एवं नीतियों का विस्तृत रूप में पालन करना अनिवार्य होगा।

14. स्थल पर Rainwater Harvesting का प्रावधान निश्चित रूप से करना होगा।

15. बिहार भवन उपविधि 2014 एवं पटना मास्टर प्लान 2031 के साथ DCR में प्रावधानित के अनुसार निमार्ण कार्य सम्पन्न कराना होगा।

विश्वासभाजन,

प्रभारी निदेशक,
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार,